

---

**अध्याय-1**

**अवलोकन**

---



## अध्याय 1

### अवलोकन

#### 1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 29.76 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। यह देश का 16<sup>वाँ</sup> सबसे बड़ा राज्य है तथा राज्य में 24 जिले हैं।

झारखण्ड विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। वृहत खनिज संसाधन कोयला, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ताम्बा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और यूरेनियम हैं। झारखण्ड देश में कोकिंग कोल और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य है। 2022-23 तक राज्य में वृहत खनिजों के 121 खदानें, लघु खनिजों के 589 खदानें हैं।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग 'क'** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या अंतिम 10 वर्षों में 15.84 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2013 में 3.41 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2023 में 3.95 करोड़ हो गई। राज्य का जनसंख्या घनत्व 495.08 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था जो राष्ट्रीय औसत 422.26 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.40 प्रतिशत थी।

#### 1.1.1 झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह विशेष समयसीमा में राज्य के आर्थिक विकास स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दर्शाती है।

उपलब्ध नई श्रृंखला के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के स.रा.घ.उ. आँकड़ों में बदलाव हुआ। तदनुसार, विगत वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित प्रासंगिक वर्षों के लिए प्रासंगिक तालिकाओं में प्रतिशत/अनुपात में बदलाव आया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए देश की स.घ.उ. की तुलना में झारखण्ड की स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि और स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि के रूझान **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में रुझान  
(चालू मूल्य पर)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>भारत</b>					
स.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
जी.वी.ए.	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.59	6.37	-1.36	18.36	16.06
पिछले वर्ष की तुलना में जी.वी.ए. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.77	7.02	-1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
<b>झारखण्ड</b>					
स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	3,05,695	3,10,305	2,96,664	3,58,863	3,93,722
जी.एस.वी.ए.	2,78,824	2,83,196	2,75,196	3,33,216	3,66,147
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.30	1.51	-4.40	20.97	9.71
पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.वी.ए. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.03	1.57	-2.82	21.08	9.88
प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (₹ में)	82,220	82,276	77,561	92,581	1,00,288


स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

मौजूदा कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 3,93,722 करोड़ था और मौजूदा कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में स.घ.उ. ₹ 2,72,40,712 करोड़ थी। इसके अलावे, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ₹ 1,00,288 थी जबकि देश की प्रति व्यक्ति स.घ.उ. ₹ 1,96,983 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. में वृद्धि (8.32 प्रतिशत) उसी वर्ष के दौरान देश की प्रति व्यक्ति स.घ.उ. में वृद्धि (14.86 प्रतिशत) के साथ तालमेल नहीं रख सकी। जैसा कि तालिका 1.1 से देखा जा सकता है, झारखण्ड की स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया।

सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) का उपयोग भारत सरकार और आई.एम.एफ. और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जी.वी.ए. को स.घ.उ. की तुलना में आर्थिक विकास का एक बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजर अंदाज करता है। जहाँ तक शुद्ध करों के उपचार का सवाल है, दोनों उपाय अलग-अलग हैं। इसलिए, एक नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप निर्माण के लिए जी.वी.ए. और सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) आंकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए स.रा.घ.उ. और जी.एस.वी.ए. के रुझान चार्ट 1.1 में दर्शाए गए हैं।

चाई 1.1: स.रा.घ.उ. बनाम जी.एस.वी.ए. का वृद्धि दर (वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23)




स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

### 1.1.2 स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार योगदान

चाई 1.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2022-23 के दौरान स.रा.घ.उ. में क्षेत्र-वार योगदान को दर्शाता है। 2022-23 के दौरान, स.रा.घ.उ. में प्रमुख योगदानकर्ता सेवा क्षेत्र था जिसके बाद कृषि क्षेत्र था। हालाँकि, वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रूप से कम हो गयी।

चाई 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार वृद्धि



स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जैसा कि चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान उल्लेखनीय गिरावट के बाद, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स.रा.घ.उ. में सभी क्षेत्रों का योगदान काफी बढ़ गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि और सेवा क्षेत्रों का योगदान कम हो गया।

## 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रा.वि.ले.प्र.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रेषित अभिश्रव, चालान तथा प्रारंभिक और सहायक लेखे, जो ऐसे लेखे को रखने के लिए जिम्मेदार हैं, से प्राप्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बजट के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं एवं राजकोषीय मापदण्डों का आकलन करने के साथ-साथ संगत नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं सहित अनुपालन और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु राज्य का बजट;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरण और कोषागार (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े;
- स.रा.घ.उ. आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी और
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

वित्त आयोग (वि.आ.) के अनुशंसाओं, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के सर्वोत्तम व्यवहारों एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया है। राज्य के वित्त विभाग के साथ दिनांक 21 जून 2023 को प्रवेश सम्मेलन हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को समझाया गया। दिनांक 13 सितम्बर 2023 को समाप्ति सम्मेलन हुआ। प्रारूप प्रतिवेदन को उत्तर/टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार (18 अक्टूबर 2023) को भेजा गया था। जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2023)।

## 1.3 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

### 1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियोजित नहीं की जायेगी। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

### 2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के व्यय को विकलित कर उक्त निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

### 3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे- अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, रक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित है एवं दोनों अस्थायी शीर्ष हैं) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

#### बजट दस्तावेज

**वार्षिक वित्तीय विवरण:** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में एक संवैधानिक (अनुच्छेद 202) आवश्यकता होती है। यह “वार्षिक वित्तीय विवरण” मूल बजट दस्तावेज का गठन करता है। आगे, बजट को अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

**राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विविध सेवाओं के सामान्य कामकाज पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

**ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार उधार, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से उधार, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेन-देन, केंद्र सरकार से उधार एवं अग्रिम आदि।

**गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से लाभ, उधार व अग्रिमों की वसूली।

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण पर व्यय, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा पी.एस.यू. एवं अन्य पक्षों को दिये गए उधार एवं अग्रिम शामिल है।


सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है, जैसा नीचे दर्शाया गया है।

	लेन-देन की आकृति	वर्गीकरण
सी.जी.ए. द्वारा एल.एम.एम.एच* में मानकीकृत	कार्य: शिक्षा, स्वास्थ्य आदि	अनुदान अन्तर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप प्रमुख शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों को निर्णय की स्वतंत्रता	योजना	उप-शीर्ष (2-अंकीय)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/ क्रियाकलाप	वस्तु शीर्ष: वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंकीय)

\*मुख्य और लघु शीर्षों की सूची

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के लक्ष्य की जानकारी मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय प्रमुख शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित सांख्यिकीय तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियाँ हेतु, 2 और 3 राजस्व व्यय इत्यादि हेतु हैं। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जो बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं। उदाहरण के लिए वस्तु शीर्ष 'वेतन' राजस्व व्यय एवं वस्तु शीर्ष 'निर्माण' पूँजीगत व्यय है। सरकारी खातों की संरचना का चित्रात्मक वर्णन चार्ट 1.3 में दिया गया है। वित्त लेखे के ब्यौरे परिशिष्ट 1.1 भाग ख एवं ग में दिये गए हैं।

चार्ट 1.3 : सरकारी लेखे की संरचना



**लोक ऋण एवं लोक दायित्व:** इस प्रतिवेदन में लोक ऋण में 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (रा.ल.ब.को.) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया ऋण आदि शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य शीर्ष 6003 और 6004-लोक ऋण विचारणीय है।

आगे, लोक लेखा के अंतर्गत लघु बचत, भविष्य निधि आदि "रक्षित निधि" और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित लेनदेन ऐसे होते हैं कि सरकार प्राप्त निधि को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि वसूलने का दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत "प्रेषण" और "उचंत" से संबंधित लेनदेन में केवल समायोजन शीर्ष शामिल है जैसा कि विभिन्न लेखांकन सर्किलों के बीच अंतरण एवं कोषागारों और मुद्रा कोष के बीच नकदी का प्रेषण।

इस प्रतिवेदन में 'लोक दायित्व' में मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि' तथा 'रक्षित निधि और जमा एवं अग्रिम' के लेन-देन के साथ-साथ मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेन-देन को शामिल किया गया है।

**बजटीय प्रक्रिया**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में, राज्य की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, यह विवरण अनुदानों/विनियोगों के लिए माँगों के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, समेकित निधि से वांछित राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने तथा अपने व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में दिशानिर्देश प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहल के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में विस्तृत है।

**1.3.1 वित्त का आशुचित्र**

तालिका 1.2 वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आंकड़ों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिखाती है।

तालिका 1.2: बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (बजट आकलन)	2022-23 (वास्तविक)	ब. आ. से वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	49,024.26	51,856.58	56,521.63	109.00	14.36
(i)	स्वयं कर राजस्व	21,289.61	35,317.75	25,117.51	71.12	6.38
(ii)	केंद्रीय कर/शुल्क का हिस्सा	27,734.65	16,538.83	31,404.12	189.88	7.98
2	गैर-कर राजस्व	10,030.75	13,762.84	12,830.05	93.22	3.26
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	10,666.85	17,405.74	10,893.54	62.59	2.77
4	<b>राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)</b>	<b>69,721.86</b>	<b>83,025.16</b>	<b>80,245.22</b>	<b>96.65</b>	<b>20.38</b>
5	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1,291.73	75.84	46.41	61.19	0.01
6	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0.00	0.00
7	ऋण एवं अन्य देनदारियाँ <sup>६</sup>	2,604.21*	11,286.46	4,616.73 <sup>६</sup>	40.91	1.17
8	<b>पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)</b>	<b>3,895.94</b>	<b>11,362.30</b>	<b>4,663.14</b>	<b>41.04</b>	<b>1.18</b>
9	<b>कुल प्राप्तियाँ (4+8)</b>	<b>73,617.80</b>	<b>94,387.46</b>	<b>84,908.36</b>	<b>89.96</b>	<b>21.57</b>
10	राजस्व व्यय	62,777.92	76,273.30	66,681.63	87.42	16.94
11	ब्याज भुगतान <sup>#</sup>	6,286.05	6,661.57	6,238.29	93.65	1.58
12	पूँजीगत व्यय	9,376.90	16,606.48	14,015.59	84.40	3.56
13	ऋण एवं अग्रिम	1,462.98	1,507.68	4,211.14	279.31	1.07
14	<b>कुल व्यय (10+12+13)</b>	<b>73,617.80</b>	<b>94,387.46</b>	<b>84,908.36</b>	<b>89.96</b>	<b>21.57</b>
15	<b>राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य(+)</b> (4-10)	<b>6,943.94</b>	<b>6,751.86</b>	<b>13,563.59</b>	<b>200.89</b>	<b>3.44</b>

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (बजट आकलन)	2022-23 (वास्तविक)	ब. आ. से वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता
16	राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+) {14-(4+5+6)}	-2,604.21	-11,286.46	-4,616.73	40.91	1.17
17	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (16-11)	3,681.84	-4,624.89	1,621.56	35.06	0.41

स्रोत-वित्त लेखे

\$ ऋण एवं अन्य देनदारियाँ: निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिक निधि+निवल (प्राप्तियाँ-लोक लेखा का संवितरण+प्रारंभिक एवं अंत रोकड़ का निवल शेष।

\* जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के एवज 2021-22 में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में ₹ 2,484.41 करोड़ को शामिल किया गया है।

& 2022-23 के दौरान प्राप्त ₹ 2,964.32 करोड़ के पूँजीगत व्यय के लिए प्राप्त विशेष सहायता को शामिल किया गया है।

# क्र.सं. 10 पर दिखाए गए राजस्व व्यय में शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ 15.09 प्रतिशत बढ़ी जबकि यह बजट अनुमान की तुलना में 3.35 प्रतिशत कम रही। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि 6.22 प्रतिशत थी। हालाँकि, यह बजट अनुमान से ₹ 9,591.67 करोड़ कम थी। आगे, उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 13,563.59 करोड़ का राजस्व अधिशेष था।

जी.एस.टी मुआवजा जी.एस.टी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को राजस्व प्राप्त के रूप में ₹ 2,064.65 करोड़ के जी.एस.टी मुआवजे की प्राप्ति हुई।

**तालिका 1.3** वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व और पूँजीगत खातों पर प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्त के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्त के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2018-19	56,152	50,631	90.17	7,850	10,712	136.46
2019-20	58,147	56,457	96.64	9,642	9,879	102.46
2020-21	56,150	59,264	105.55	13,595	8,466	62.27
2021-22	69,722	62,778	90.04	11,132	9,377	84.23
2022-23	80,245	66,682	83.10	9,189	14,016	152.53

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्त के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत न्यूनतम (83.10 प्रतिशत) था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिक राजस्व अधिशेष हुआ।
- पूँजीगत प्राप्तियों पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 84.23 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 152.53 प्रतिशत हो गया, जो 2018-23 की अवधि के दौरान सबसे अधिक था।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' (₹ 2,078 करोड़ से), 'ग्रामीण विकास' (₹ 1,077 करोड़ से) और 'शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति' (₹ 917 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी, जिसकी भरपाई 'अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों' (₹ 999 करोड़ से) पर कम व्यय से हुई। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय, ₹ 16,606 करोड़ के बजट प्रावधान से काफी कम था।

### 1.3.2 सरकार की सम्पत्तियों और दायित्वों का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसम्पत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे और रक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशिकृत स्थिति वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए तालिका 1.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.4: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

		देनदारियाँ			परिसम्पत्तियाँ				
		2021-22	2022-23	वृद्धि प्रतिशत		2021-22	2022-23	वृद्धि प्रतिशत	
<b>समेकित निधि</b>									
क	आंतरिक ऋण	74,538.31	73,580.43	-1.29	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	1,05,394.58	1,19,410.18	13.30
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	7,993.22	11,363.95	42.17	ब	ऋण एवं अग्रिम	24,348.48	28,513.21	17.10
<b>आकस्मिक निधि</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>लोक लेखा</b>									
क	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	1,001.19	1,016.98	1.58	अ	अग्रिम	19.67	17.66	-10.22
ख	जमा	23,609.29	26,955.09	14.17	ब	प्रेषण	0.00	0.00	0.00
ग	रक्षित निधियाँ	6,844.35	6,535.66	-4.51	स	उचंत एवं विविध	0.00	0.00	0.00
घ	प्रेषण	112.64	76.55	-32.04		नकद शेष (कर्णांकित निधि में निवेश सहित)	5,572.70	6,682.68	19.92
ङ	उचंत एवं विविध	117.65	412.70	250.79		राजस्व लेखा में घाटा	-	-	-
	व्यय से प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	20,618.78	34,182.37	65.78					
<b>कुल</b>		<b>1,35,335.43</b>	<b>1,54,623.73</b>	<b>14.25</b>	<b>कुल</b>	<b>1,35,335.43</b>	<b>1,54,623.73</b>	<b>14.25</b>	

स्रोत: वित्त लेखें

\*जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं।

#### 1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व एकत्र करने से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे कई मापदण्ड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं।

घाटे को उधार के द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तो सरकारी ऋण में बढ़ोतरी होती है। घाटे और ऋण की अवधारणा के बीच घनिष्ठ संबंध है। घाटे को एक प्रवाह माना जाता है जिसे ऋण के स्टॉक में जोड़ा जाता है। यदि सरकार वर्ष दर वर्ष उधार लेना जारी रखती है, तो इससे ऋण का संग्रहण होता है और सरकार को ब्याज के रूप में और अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण में योगदान देते हैं।

उधार द्वारा, सरकार कम खपत का बोझ भावी पीढ़ियों पर डाल देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बाँण्ड जारी करके उधार लेता है, लेकिन करों को बढ़ाकर या खर्च कम करके बाण्ड का भुगतान बहुत बाद में करने का निर्णय ले सकता है। साथ ही, लोगों से सरकारी उधारी निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को कम करती है। इस सीमा तक कि यह पूँजी निर्माण और वृद्धि को कम कर देता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर “बोझ” के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। ऐसे में, सरकार और उद्योग दोनों ज्यादा उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य स.घ.उ.) की वृद्धि से आँकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी से कम किया जा सकता है। हालाँकि, प्रमुख जोर सरकारी खर्च में कमी की ओर रहा है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने मई 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2007 पारित किया, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करके, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करने तथा सुधार स्थापित करके बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करना और मध्यम अवधि के ढाँचे में सुधार एवं पारदर्शिता लाना था। इस संदर्भ में, अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तरों के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए राज्य के राजकोषीय समेकन पर भारत सरकार की नीति के अनुसरण में, नवम्बर 2021 में झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 में संशोधन किया गया।

नवंबर 2021 के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम का लक्ष्य वित्तीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित स.रा.घ.उ. के 4 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए 3 प्रतिशत तक कम करना है। बिजली क्षेत्र में सुधारों के अधीन, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित स.रा.घ.उ. का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त कम किया जाना था। इसके अलावा, जीएसटी मुआवजे के विकल्प 1 के तहत उधार और पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत उधार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपरोक्त शर्तों के दायरे से बाहर रखा गया था।

#### 1.4.1 राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्य मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य और वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान उनकी उपलब्धियाँ तालिका 1.5 में दी गई हैं।

तालिका 1.5: राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत राज्य एम.टी.एफ.पी. के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियाँ				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (₹ करोड़ में)	शून्य	5,521 ✓	1,960 ✓	-3,114 X	6,944 ✓	13,564 ✓
राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)	तीन प्रतिशत (2020-21 के लिए 5 प्रतिशत, 2021-22 के लिए 4 प्रतिशत एवं 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत)	6,629 (2.17)	8,035 (2.59)	14,911 (5.03)	2,604 (0.73)	4,617 (1.17)
	लक्ष्य (प्रतिशत)	3.0 ✓	3.0 ✓	5.0 X	4.0 ✓	3.5 ✓
स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	27.20	27.10	27.00	33.00	33.15
	वास्तविक	27.41 X	30.42 X	36.23 <sup>#</sup> X	30.93 <sup>#</sup> ✓	30.08 ✓

<sup>#</sup> इसमें जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय

घाटा भी निर्धारित लक्ष्य से कम था। स.रा.घ.उ. के लिए बकाया देनदारी का अनुपात झारखण्ड एफआरबीएम अधिनियम के तहत एमटीएफपी में निर्धारित मानदंडों को पार कर गया था और वित्तीय वर्ष 2020-21 तक चिंता का क्षेत्र था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसमें सुधार हुआ था और चालू वर्ष के दौरान यह लक्ष्य के भीतर बना रहा।

15वें वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य और 2022-23 के दौरान स.रा.घ.उ. के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में राज्य के बजट में अनुमानित उपलब्धियों को तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका: 1.6: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में लक्ष्य बनाम उपलब्धियाँ

(प्रतिशत में)

राजकोषीय परिवर्तन	2022-23			
	राज्य हेतु एफ.एफ.सी. अनुमान	एम.टी.एफ.पी. विवरणी में वर्णित लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक (लेखापरीक्षा के पश्चात)
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+)	शून्य	1.77	3.44	3.29
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	उपलब्ध नहीं	-3.5	-1.17	-1.33
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष सरकार का कुल बकाया ऋण का अनुपात	37.5	33.15	30.08	30.08

एफ.आर.बी.एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ एक पंचवर्षीय वित्तीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) विवरणी को निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करना है।

तालिका 1.7 राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किए गए एम.टी.एफ.पी. में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किए गए अनुमानों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट और वर्ष के वास्तविक के बीच अंतर को दर्शाता है।

तालिका 1.7: वर्ष 2022-23 के लिए एम.टी.एफ.पी. में प्रक्षेपण के सापेक्ष में वास्तविकता

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	राजकोषीय परिवर्तनीय	एम.टी.एफ.पी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2022-23)	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्वयं कर राजस्व	24,850	25,118	1.08
2	गैर-कर राजस्व	13,763	12,830	-6.78
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	27,007	31,404	16.28
4	भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	17,891	10,893	-39.12
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	83,511	80,245	-3.91
6	राजस्व व्यय	76,273	66,682	-12.57
7	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+)	7,238	13,564	87.40
8	राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष(+)	-11,286	-4,617	59.09
9	देनदारी/ स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	33.15	30.08	9.26
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.01	9.71	-11.81

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, मुख्य रूप से भारत सरकार से सहायता-अनुदान की कम प्राप्तियाँ के कारण राज्य की प्राप्ति एम.टी.एफ.पी लक्ष्य से कम रही।


### 1.4.2 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.4 एवं चार्ट 1.5 क्रमशः 2018-23 की अवधि में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष घाटे के मापदंडों और प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटा मापदंड की प्रवृत्ति



चार्ट 1.5: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति



राज्य अपने प्रमुख वित्तीय मापदंडों के संबंध में वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट और उसके एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 6,944 करोड़ का राजस्व अधिशेष वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹ 13,564 करोड़ रुपये हो गया। हालाँकि, राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 2,604 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 4,617 करोड़ हो गया, जो अभी भी वर्ष के लिए अनुमान के अंदर था और उधार ली गई धनराशि पर राज्य की कम निर्भरता का संकेत था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राथमिक

अधिशेष ₹ 3,682 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में घटकर ₹ 1,622 करोड़ रह गया।

### 1.5 लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के पश्चात घाटा

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों, जैसे घाटा, देनदारियों की सीमा और गारंटी आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, जैसा कि राज्य के लिए गणना की गई है, विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे कि राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय और ऑफ-बजट राजकोषीय संचालन के रूप में गलत वर्गीकरण से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, ह्रास निधि और प्रत्याभूति मोचन निधि आदि में कम योगदान भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूँजी परिव्यय और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की जरूरत है। लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटे का विश्लेषण तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्योक्ति)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	संदर्भ कंडिका
(₹ करोड़ में)			
2022-23 के दौरान लोक लेखा में समर्पित निधियों को उपकर के कम/नहीं अंतरण	173.30	173.30	2.5.3
2022-23 के दौरान एस.डी.आर.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	131.95	131.95	2.5.2
2022-23 के दौरान राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	161.56	161.56	2.5.2
2022-23 के दौरान एस.डी.एम.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	151.40	151.40	2.5.2
<b>कुल</b>	<b>618.21</b>	<b>618.21</b>	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण

जैसा कि तालिका 1.8 से देखा जा सकता है कि चालू वर्ष में राजस्व अधिशेष को ₹ 618.21 करोड़ अतियोक्ति हुई और राजकोषीय घाटा में ₹ 618.21 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इस प्रकार, यदि उपरोक्त मदों को ध्यान में रखा जाए, तो राज्य का वास्तविक राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 13,563.59 करोड़ और ₹ 4,616.73 करोड़ के बजाय ₹ 12,945.38 करोड़ और ₹ 5,234.94 करोड़ होगा।

**1.6 कुल देनदारियाँ**

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के अनुसार, कुल देनदारियों का अर्थ राज्य के समेकित निधि और लोक लेखा के तहत देनदारियाँ हैं। बकाया ऋण/ देनदारियों को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: 31 मार्च 2023 तक बकाया देनदारियों के घटक

वित्त लेखा के अनुसार ऋण एवं अन्य देनदारियाँ	राशि (₹ करोड़ में)
<b>आंतरिक ऋण (अ)</b>	<b>73,580.43</b>
ब्याज सहित बाजार ऋण	55,812.65
ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड	4,447.39
अन्य संस्थानों आदि से ऋण	8,036.65
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	5,247.91
अन्य ऋण	35.79
<b>केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ब)</b>	<b>11,363.94</b>
गैर-योजना ऋण	8.80
राज्य योजनाओं के लिए ऋण	11,355.14
अन्य	0.00
<b>लोक लेखा पर देनदारियाँ (स)</b>	<b>33,503.85</b>
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,016.98
जमा एवं अग्रिम	26,955.09
रक्षित निधि	5,531.78
<b>कुल (अ+ब+स)</b>	<b>1,18,448.22</b>

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, राज्य की बकाया देनदारियों में प्रमुख योगदानकर्ता 'आंतरिक ऋण' के तहत ब्याज सहित बाजार ऋण (₹ 55,812.65 करोड़) और लोक लेखा के तहत 'जमा एवं अग्रिम' (₹ 26,955.09 करोड़) थे।